

जबलपुर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, जबलपुर

कटनी, सतना, शहडोल, सिवनी, डिंडोरी,
नरसिंहपुर, बालाघाट, एवं मंडला में साँची पार्लर
आवंटन हेतु आवेदन प्रपत्र वर्ष–2024–25



जबलपुर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, जबलपुर
डेयरी संयंत्र: करौंदा नाला, इमलिया, आधारताल, जबलपुर
टोल फ्री नंबर–9406900500

E-mail : jdssanchi@gmail.com, jabalpur.sanchi@gmail.com

**जबलपुर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित,
करौंदानाला, इमलिया, कटनी रोड, जबलपुर-482002**

क्रमांक-2982/जेएसडीएस/विप-110/जबलपुर/2024

दिनांक: 15.10.2024

“साँची पार्लर संचालन हेतु आवेदन प्रपत्र”

जबलपुर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, जबलपुर के कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत कटनी में -07, सतना में -06, शहडोल में -5, सिवनी में -11, डिंडोरी में -04, नरसिंहपुर में-03, बालाघाट में -10, एवं मंडला में -11 स्थानों पर साँची पार्लर (8 x 8 वर्गफुट साईज) के आवंटन हेतु भौतिक रूप से आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं। इच्छुक आवेदनकर्ता इस कार्य हेतु आवेदन प्रपत्र एवं अन्य नियम एवं शर्तों की विस्तृत जानकारी www.sanchidairy.com से प्राप्त कर सकते हैं।

आवेदनकर्ता आवेदन प्रपत्र www.sanchidairy.com से डाउनलोड कर अथवा वॉट्सएप नंबर 9406900477 पर “साँची मिल्क पार्लर” टाईप कर प्राप्त कर सकते हैं। आवेदनकर्ता प्रपत्र जमा करते समय रु. 50/- (आवेदन फार्म शुल्क) जबलपुर दुग्ध संघ कार्यालय में आवेदन के साथ संलग्न कर वांछित दस्तावेजों सहित भौतिक रूप से दिनांक 04.11.2024 सांय 3:00 बजे तक कार्यालय में उपस्थित होकर जमा करना होगा। प्राप्त सभी आवेदनों के परीक्षण उपरांत एमपीसीडीएफ की पार्लर आवंटन नीति अनुसार पार्लर के आवंटन की अग्रिम कार्यवाही के संबंध में पात्र आवेदकों को सूचित किया जावेगा। पार्लर आवंटन हेतु चयनित आवेदनकर्ता को रु. 75,000/- (पच्चहत्तर हजार मात्र) सुरक्षा निधि दुग्ध संघ खाते में निर्धारित अवधि में जमा करना होगा। जिस पर कोई ब्याज देय नहीं होगा। स्थलों की सूची वेबसाइट पर आवेदन प्रपत्र क्र. 05 पर वर्णित है। किसी भी आवेदन को सकारण निरस्त/स्वीकृत करने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जबलपुर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, जबलपुर के पास सुरक्षित होगा।

इस आवेदन में यदि कोई सुधार/संशोधन होता है तो सिर्फ उपरोक्त दर्शित वेबसाइटों पर ही प्रकाशित किया जावेगा। अन्य कोई भी माध्यम से प्रकाशित नहीं होगा। अधिक जानकारी के लिये निम्न अधिकारियों/कर्मचारियों के मोबाइल नंबरों पर संपर्क किया जा सकता है :-

कटनी-7987268850, सतना-9179905698, शहडोल-9479907972, सिवनी-9407392919,
डिंडोरी-9406900500, नरसिंहपुर-8770840249, बालाघाट-8251887051, मंडला- 9752212741

मुख्य कार्यपालन अधिकारी

**जबलपुर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित,
करौंदानाला, इमलिया, कटनी रोड़, जबलपुर-482002**

“साँची पार्लर हेतु आवेदन प्रपत्र”

1.	आवेदन प्रपत्र प्राप्त करने की प्रारंभ तिथि एवं समय	दिनांक 21.10.2024 से दोपहर 12:00 बजे से
2.	आवेदन प्रपत्र जमा करने की अंतिम तिथि एवं समय	दिनांक 04.11.2024 सांय 03:00 बजे तक
3.	आवेदनकर्ता का आवेदन प्रपत्र	प्रपत्र क्र. 01
4.	साँची पार्लर रखे जाने हेतु आवेदन एवं संचालन की आवश्यक शर्तें	प्रपत्र क्र. 02
5.	शपथ पत्र का प्रारूप	प्रपत्र क्र. 03
6.	साँची पार्लर हेतु अनुबंध प्रपत्र का प्रारूप	प्रपत्र क्र. 04
7..	पार्लर रखने हेतु वांछित स्थानों की सूची।	प्रपत्र क्र. 05

आवेदन प्रपत्र भरने हेतु ध्यान रखने योग्य बिन्दु:-

1. प्रपत्र क्र. 01 “आवेदनकर्ता का आवेदन प्रपत्र” एवं प्रपत्र क्र. 02 “ पार्लर संचालन की शर्तें ” की प्रतिपूर्ति कर एवं हस्ताक्षरित कर एक बंद लिफाफे में रखें लिफाफे पर लिफाफा । अंकित करें।
2. लिफाफा । एक अन्य लिफाफे में रखें एवं उस लिफाफे पर आवेदनकर्ता, अपना नाम, पता एवं जिस स्थल पर (स्थल का नाम) पार्लर संचालन हेतु आवेदन प्रस्तुत करना चाहते हैं स्पष्ट रूप से अंकित कर दुग्ध संघ कार्यालय में विज्ञापन में वर्णित अनुसार निर्धारित दिनांक को सांय 03:00 बजे तक जमा करें। पार्लर संचालन हेतु सभी आवश्यक अर्हताएं सफल पाये जाने पर चयन प्रक्रिया संबंधी कार्यवाही प्रारंभ की जावेगी।

साँची पार्लर हेतु आवेदन प्रपत्र

सेवा में,

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जबलपुर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित

स्वयं का प्रमाणित
फोटो चिपकाए

1. अ) नाम
- ब) पिता/पति का नाम
- स) लिंग पुरुष/महिला
2. वर्ग: (आवेदक कृपया अपने वर्ग के सम्मुख अंकित बॉक्स में सही का निशान लगाए)

अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति

अन्य पिछड़ा वर्ग सामान्य वर्ग

आर्थिक रूप से कमजोर अनारक्षित वर्ग

(उपरोक्तानुसार प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करें।)

3. शैक्षणिक योग्यता:
(न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता हायर सेकन्डरी पास)
4. पता:
अ) स्थाई पता : (आधार कार्ड की छायाप्रति संलग्न करें)
(दूरभाष/ मोबाइल नं के साथ)

(दूरभाष/ मोबाइल नं के साथ)
5. वर्तमान व्यवसाय/कार्य:-
- स्वयं का व्यवसाय
- व्यवसाय के स्थान का पता (दूरभाष नम्बर)
6. आवेदक स्थल का पता:
7. वित्तीय स्थिति
- वर्तमान व्यवसाय की लागत
- वर्तमान व्यवसाय से आय
- मिल्क पार्लर व्यवसाय हेतु लगाई जाने वाली पूंजी
की व्यवस्था।
8. दूध/दुग्ध पदार्थ व्यवसाय का कोई अनुभव (हाँ/नहीं)

(अनुभव संबंधी स्वप्रमाणित दस्तावेज संलग्न करें)

9. जमानतदार

(i) जमानतदार का नाम पूरा पता (दूरभाष सहित) व्यवसाय/मासिक आय

(ii) जमानतदार का नाम पूरा पता (दूरभाष सहित) व्यवसाय/मासिक आय

(एक जमानतदार सरकारी कर्मचारी होना अनिवार्य है)

10. पार्लर संचालन हेतु प्रस्तावित स्थल— अ. शहर का नाम

ब.पार्लर क्रमांक एवं स्थल का नाम

(आवेदनकर्ता शहर एवं स्थल का नाम संलग्न सूची में से देखकर, स्पष्ट रूप से भरें, शब्दों में किसी भी प्रकार की

कोई काटापिटी एवं ओवर राइटिंग न करें।)

घोषणा— मैं मिल्क पार्लर आवंटन से संबंधित समस्त शर्तें पढ़ और समझ चुका/चुकी हूँ और मान्य करता/करती हूँ। अतः मेरे द्वारा उपलब्ध कराई गई समस्त जानकारी पूर्णतः सत्य है।

नोट :-

1. आवेदन जमा करने की तिथि में अवकाश घोषित होने पर अगले कार्यालयीन दिवस में आवेदन प्राप्त किये जाएंगे।

दिनांक

आवेदक का नाम.....

स्थान

हस्ताक्षर

आवेदन के साथ जमा किये जाने वाले आवश्यक दस्तावेजों की सूची

क्र.	आवश्यक दस्तावेज
1.	आवेदन प्रपत्र क्रय करने की रू. 50/- की मूल रसीद
2.	आधार कार्ड की छायाप्रति
3.	जाति प्रमाण पत्र की छायाप्रति
4.	निशक्तजन के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी निःशक्ता प्रमाण पत्र
5.	आर्थिक रूप से कमजोर श्रेणी के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र
6.	शैक्षणिक योग्यता कक्षा आठवीं मार्कशीट की छायाप्रति।
7.	अनुभव संबंधी स्वप्रमाणित दस्तावेज। (यदि हो तो)
8.	एमपीसीडीएफ भोपाल एवं किसी भी दुग्ध संघों के प्राधिकृत अधिकारी, अध्यक्ष, अधिकारी, कर्मचारी, संचालक मंडल के सदस्य, दुग्ध समितियों के सचिव से रक्त संबंध नहीं है एवं न ही वे आश्रित परिवार के सदस्य हैं। किसी भी शासकीय, अर्धशासकीय संस्था से कभी भी, किसी भी कार्य से पृथक कर ब्लेक लिस्टेड नहीं किया गया है एवं न ही किसी भी पुलिस थाने एवं न्यायालय में कोई आपराधिक प्रकरण दर्ज है/चल रहा है के संबंध में रू.100/- के नॉन ज्युडिशियल स्टॉम्प पेपर पर शपथ पत्र।

नोट :-

1. उपरोक्त वर्णित दस्तावेज एवं आवेदन में वर्णित अन्य दस्तावेज आवेदन प्रपत्र के साथ संलग्न न करने की स्थिति में आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा।

साँची पार्लर आवंटन हेतु आवेदन एवं संचालन की आवश्यक शर्तें :-

1. आवेदक एक से अधिक आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं, परन्तु एक आवेदनकर्ता को एक ही पार्लर आवंटन किया जाएगा। पार्लर आवंटन हेतु स्वीकृत स्थलों की सूची आवेदन प्रपत्र के साथ प्रपत्र क्र. 05 पर संलग्न है। एक बार आवेदन प्रस्तुत होने के उपरांत चयन प्रक्रिया के समय स्थल परिवर्तन हेतु आवेदनकर्ता की ओर से कोई भी लिखित आवेदन व कारण स्वीकार नहीं किया जाएगा।
2. **चयन प्रक्रिया :-**
मध्यप्रदेश शासन की आरक्षण नीति एवं एमपीसीडीएफ की नवीन पार्लर आवंटन नीति 2020 अनुसार पार्लरों का आवंटन किया जावेगा। यदि प्रत्येक स्थान पर पार्लर हेतु केवल एक ही आवेदन प्राप्त होता है तो इस दशा में पात्र आवेदनकर्ता के समस्त दस्तावेजों के परीक्षण उपरांत सफल पाये जाने पर पार्लर आवंटन कर दिया जावेगा।
3. आरक्षित वर्ग के आवेदको को आवेदन के साथ जाति प्रमाण-पत्र, निशक्तजन के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी निःशक्ता प्रमाण पत्र एवं आर्थिक रूप से कमजोर श्रेणी के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र स्वयं के द्वारा सत्यापित प्रति अनिवार्य रूप से संलग्न करनी होगी अन्यथा आवेदक के आवेदन को सामान्य वर्ग का आवेदन मान्य किया जावेगा।
4. इस प्रक्रिया में निर्धारित सूची में क्रम अनुसार प्रत्येक पार्लर के आरक्षित वर्ग के एक से अधिक पात्र आवेदक पाए जाने पर पार्लर संचालन हेतु आवेदक का चयन लॉटरी द्वारा किया जाएगा। आरक्षित वर्ग के आवेदकों के आवेदन प्राप्त न होने की स्थिति में पार्लर का आवंटन सामान्य वर्ग के आवेदकों को किया जावेगा।
5. आवेदक का चयन होने पर आवेदक को पार्लर हेतु सुरक्षा निधि राशि रु. 51,000/- दुग्ध संघ में जमा करनी होगी। सुरक्षा निधि जमा उपरान्त दुग्ध संघ द्वारा आवेदक को साँची पार्लर स्ट्रक्चर उपलब्ध कराया जाएगा। नगर निगम द्वारा आवंटित स्थान के अनुसार पार्लर का साईज 8 फीट ग 8 फीट होगा।
6. सफल आवेदनकर्ता को पार्लर आवंटन होने के पश्चात् प्रतिभूति राशि, अनुबंध निष्पादन, फूड लायसेंस एवं जीएसटी नम्बर एवं अन्य आवश्यक दस्तावेज इत्यादि निर्धारित औपचारिकताएँ पूर्ण करने हेतु पत्र जारी होने से एक माह में जमा करना अनिवार्य होगा। निर्धारित अवधि में उपरोक्त समस्त कार्यवाही पूर्ण न करने की दशा में पार्लर आवंटन निरस्त कर दिया जायेगा।
7. आवेदन स्वीकृति के उपरांत पार्लर संचालक की कार्य अवधि प्रथमतः तीन वर्षों के लिए प्रभावशील रहेगी। दुग्ध संघ द्वारा पार्लर संचालक का कार्य तीन वर्ष की अवधि में संतोषप्रद पाये जाने पर अनुबंध की समान शर्तों पर पार्लर संचालन का एक-एक वर्ष कर प्रत्येक वर्ष नवीनीकरण किया जा सकेगा। दुग्ध संघ द्वारा पार्लर संचालक का कार्य संतोषप्रद नहीं पाए जाने पर कार्य आवंटन निरस्त करते हुए पुनः आवंटन करने हेतु दुग्ध संघ स्वतंत्र रहेगा। अनुबंध अवधि नियुक्त तिथि से तीसरे वित्तीय वर्ष अर्थात् वर्ष की दिनांक 31 मार्च तक की अवधि के लिए प्रभावशील माना जावेगा अर्थात् पार्लर संचालन हेतु अनुबंध की अवधि प्रथम बार में नियुक्त तिथि के वित्तीय वर्ष की दिनांक 31 मार्च तक होगी। उसके बाद पुनः अनुबंध नवीनीकरण की अवस्था में अनुबंध की अवधि दिनांक 01 अप्रैल से प्रभावी होगी। यदि पार्लर एजेंट/संचालक साँची पार्लर का संचालन निरंतर करना चाहता है तो उसे इसी अनुसार नया अनुबंध तीसरे वित्तीय वर्ष की दिनांक 31 मार्च तक समाप्त होने के एक माह पूर्व निष्पादित करना होगा अन्यथा साँची पार्लर अन्य व्यक्ति को देने के लिए दुग्ध संघ स्वतंत्र रहेगा।
8. आवंटित स्थान पर आवेदक को किसी विवाद की दशा में नवीन स्थल आवंटित करने की स्वतंत्रता दुग्ध संघ को होगी।
9. सफल आवेदनकर्ता को पार्लर में पेंटिंग, बिजली बिल, डीप-फ्रीजर की व्यवस्था विक्रय के अनुरूप स्वयं के स्तर से करनी होगी। इस हेतु दुग्ध संघ स्तर से कोई भुगतान नहीं किया जावेगा।
10. सफल आवेदनकर्ता को पार्लर का नियमानुसार मासिक किराया अथवा नगर निगम द्वारा समय-समय पर निर्धारित मासिक किराया राशि अनुसार नगर निगम के संबंधित कार्यालय में जबलपुर दुग्ध संघ के नाम से जमा करना होगा तथा किये गये भुगतान की पावती की एक प्रति दुग्ध संघ के विपणन कार्यालय को लिखित आवेदन के साथ मासिक रूप से प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा ताकि लेखा-जोखा संधारित किया जा सके।
11. पार्लर संचालक को न्यूनतम 100 लीटर प्रतिदिन दूध का विक्रय एवं रु.500/- के दुग्ध उत्पाद प्रथम तीन माह की अवधि में प्राप्त करना होगा। तत्पश्चात् दूध एवं दुग्ध उत्पाद विक्रय में वृद्धि प्राप्त करनी

होगी, दिये गये माहवार विक्रय लक्ष्यों में प्रतिवर्ष 10: की वृद्धि अनुबंध का एक वर्ष पूर्ण होने पर की जायेगी तथा इस प्रकार नवीन निर्धारित लक्ष्य ही उस वर्ष के लिये पार्लर संचालक को मान्य व स्वीकार होंगे।

12. पार्लर संचालक की कार्य समीक्षा दुग्ध संघ द्वारा त्रैमासिक आधार पर की जायेगी तथा पार्लर संचालक द्वारा निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति न होने की दशा में गतमाह का शेष लक्ष्य आगामी माह के लक्ष्य में जोड़ दिया जायेगा। यदि तीन माह तक कुल संचयित मासिक लक्ष्य की प्राप्ति नहीं की जाती है तो त्रैमासिक कार्य समीक्षा उपरांत चेतावनी दी जायेगी एवं अंतिम तीन माह का समय कुल संचयित लक्ष्य प्राप्ति हेतु दिया जायेगा। अर्द्धवार्षिक समीक्षा उपरांत यदि यह पाया जाता है कि कुल संचयित मासिक लक्ष्यों के विरुद्ध 100: लक्ष्य प्राप्ति नहीं की गई है तो कार्य आवंटन निरस्त कर कार्य से पृथक कर दिया जायेगा।
13. सफल आवेदनकर्ता, पार्लर एजेन्ट (संचालक) के रूप में संबंधित मार्ग/क्षेत्र के दुग्ध एवं दुग्ध पदार्थ वितरक सह परिवहनकर्ता/वितरक के अधीन कार्य करेंगे तथा इन्हे वितरक के माध्यम से दूध एवं दुग्ध पदार्थ प्रदाय किया जावेगा। यदि वितरक द्वारा आवेदनकर्ता को विक्रेता दरों पर प्रदायगी तथा निर्धारित मार्जिन नहीं दिया जाता है तो इसकी सूचना पार्लर संचालक दुग्ध संघ प्रबंधन को देगा।
14. सफल आवेदनकर्ता पार्लर एजेन्ट (संचालक) के रूप में अपने आसपास के क्षेत्रों में उपभोक्ताओं से संपर्क करेंगे, दुग्ध एवं दुग्ध पदार्थों की होम डिलेवरी सुनिश्चित करेंगे तथा एडवांस कार्ड भी अनिवार्य रूप से बनाएंगे।
15. पार्लर आवंटन पश्चात् संचालन हेतु आवंटी को रू.1000/- के नॉन ज्यूडिशियल स्टॉम्प पर निर्धारित शर्तों का अनुबंध नॉटराइज्ड कराकर निष्पादन करना होगा। अनुबंध का प्रारूप प्रपत्र क्र.04 पर संलग्न है।
16. सफल आवेदनकर्ता, वितरक से दुग्ध एवं दुग्ध उत्पादों की प्रदायगी के दौरान दुग्ध पैकेटस/दुग्ध पदार्थों के टूटफूट/लीकेज इत्यादि की जाँच करने के उपरांत ही प्रदायगी लेवें अन्यथा एक बार प्रदायगी होने के उपरांत किसी भी प्रकार से तत्संबंध में लीकेज/टूटफूट इत्यादि की हानि होने पर जिम्मेदारी संबंधित आवेदनकर्ता की होगी।
17. आवेदनकर्ता आवेदन प्रपत्र के नियम एवं शर्तों तथा अनुबंध की शर्तों का विस्तृत रूप से अध्ययन कर/पढ़कर आवेदन में मांगे गये आवश्यक अर्हताओं की प्रतिपूर्ति कर आवेदन भरें। अन्यथा चयन प्रक्रिया के समय किसी भी प्रकार से जानकारी/दस्तावेजों में कम पाये जाने की दशा में इस प्रकार के आवेदनों को निरस्त कर दिया जावेगा, जिसकी जवाबदेही संबंधित आवेदनकर्ता की होगी।
18. आवेदनकर्ता को आवेदन प्रपत्र के साथ रू 100/- के नोटराइज्ड स्टॉम्प पर यह शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा कि आवेदनकर्ता का "एमपीसीडीएफ भोपाल एवं किसी भी दुग्ध संघों के प्राधिकृत अधिकारी, अध्यक्ष, अधिकारी, कर्मचारी, संचालक मंडल के सदस्य, दुग्ध समितियों के सचिव से रक्त संबंध नहीं है एवं न ही वे आश्रित परिवार के सदस्य हैं। आवेदनकर्ता को किसी भी शासकीय, अर्धशासकीय संस्था से कभी भी, किसी भी कार्य से पृथक कर ब्लेक लिस्टेड नहीं किया गया है एवं न ही आवेदनकर्ता को किसी भी पुलिस थाने एवं न्यायालय में कोई आपराधिक प्रकरण दर्ज है/चल रहा है। यदि भविष्य में उक्त शपथ गलत पाया जाता है तो दुग्ध संघ द्वारा आवंटी का आवंटन निरस्त कर प्रतिभूति राशि राजसात कर ली जाएगी एवं उसके विरुद्ध आवश्यक वैधानिक कार्यवाही हेतु दुग्ध संघ स्वतंत्र होगा। जो कि आवेदनकर्ता को मान्य होगा।" (आवेदन प्रपत्र के प्रपत्र क्र. 03 पर प्रारूप संलग्न है, का अवलोकन कर प्रस्तुत करें।)
19. किसी भी प्रकरण में प्रथम पक्ष (जबलपुर दुग्ध संघ) एवं द्वितीय पक्ष के मध्य विवाद की स्थिति निर्मित होने पर प्रबंध संचालक, एमपीसीडीएफ को प्रकरण निराकरण हेतु प्रस्तुत किया जा सकेगा। निराकरण न होने की स्थिति में आरबिट्रेशन एक्ट 1996 के प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही की जा सकेगी।
20. आवेदक यदि पूर्व से ही दूध या दुग्ध पदार्थों का व्यवसाय कर रहे हो तो उनके आवेदन पर तभी विचार किया जावेगा, जब आवेदक यह घोषणा-पत्र आवेदन के साथ संलग्न करें कि पार्लर आवंटन की स्थिति में आवेदक द्वारा खुले अथवा अन्य ब्रांड के दूध, घी एवं दुग्ध पदार्थ का विक्रय पूर्ण रूप से बंद कर दिया जाएगा। आवेदक पूर्व से ही साँची पार्लर का संचालन कर रहा है तो उनके आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।
21. विज्ञापन के माध्यम से प्राप्त आवेदनों में यदि ऐसा कोई आवेदक का आवेदन प्राप्त होगा जिसका दुग्ध संघ में रिकार्ड खराब हो अथवा पूर्व में दुग्ध संघ की नीतियों के विरुद्ध कार्यवाही की गई हो तो उस आवेदक का आवेदन दुग्ध संघ स्तर पर निरस्त कर दिया जावेगा एवं आवेदन को आवंटन प्रक्रिया में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।
22. चयन उपरांत सफल आवेदनकर्ता द्वारा किसी भी परिस्थिति में पार्लर को किसी अन्य व्यक्ति को हस्तांतरित नहीं किया जा सकेगा तथा न ही किसी अन्य व्यक्ति को किराये पर दिया जा सकेगा। यदि ऐसा पाया जाता है तो आवंटन निरस्त कर प्रतिभूति राशि राजसात कर ली जाएगी।

मैंने उपरोक्त आवेदन में वर्णित आवंटन की नियम एवं शर्तों तथा अनुबंध की शर्तों को भलीभांति पढ़ लिया है एवं समझ लिया है। मुझे आवेदन में वर्णित आवंटन की नियम एवं शर्तों तथा अनुबंध की सभी शर्तें मान्य हैं एवं इस हेतु अपनी सहमति देता/देती हूँ।

दिनांक

हस्ताक्षर

आवेदनकर्ता का नाम एवं पता

शपथ पत्र केवल रु. 100/- के नोटराइज्ड स्टॉम्प पर प्रस्तुत करें

मैं यह शपथपूर्वक कथन करता हूँ कि -

1. मेरा एमपीसीडीएफ भोपाल, से संबद्ध किसी भी दुग्ध संघों के अध्यक्ष, प्राधिकृत अधिकारी, संचालक मंडल के सदस्य, दुग्ध समिति के सचिव, अधिकारी एवं कर्मचारी से किसी भी प्रकार का कोई रक्त संबंध नहीं है एवं ना ही मैं आश्रित परिवार का सदस्य हूँ।
2. मुझे कभी भी किसी भी शासकीय, अर्धशासकीय संस्था द्वारा ब्लेक लिस्टेड नहीं किया गया है तथा मेरा किसी भी न्यायालय, पुलिस थाने में कोई आपराधिक प्रकरण दर्ज नहीं है/चल रहा है।
3. मेरे द्वारा पार्लर आवंटन की स्थिति में खुले अथवा अन्य ब्रांड के दूध, घी एवं दुग्ध पदार्थ का विक्रय नहीं किया जाएगा।
4. मेरे विरुद्ध किसी भी पुलिस थाने एवं न्यायालय में कोई आपराधिक प्रकरण दर्ज नहीं है, ना ही कोई प्रकरण विचाराधीन है।
5. यदि भविष्य में इस शपथ पत्र में मेरे द्वारा वर्णित कथन गलत पाये जाते हैं तो दुग्ध संघ द्वारा मेरा पार्लर आवंटन निरस्त कर प्रतिभूति राशि राजसात की जा सकेगी एवं आवश्यक वैधानिक कार्यवाही हेतु दुग्ध संघ स्वतंत्र होगा, जो कि मुझे मान्य होगी।”

यदि इस संबंध में किसी भी प्रकार से उपरोक्त वचन/शपथ गलत पाया जाता है तो जबलपुर दुग्ध संघ प्रबंधन मेरे विरुद्ध किसी भी प्रकार की कार्यवाही हेतु स्वतंत्र होगा एवं इस हेतु मैं/हम अपनी सहमति देता हूँ/देती हूँ।

दिनांक-

गवाह-

- 1 नाम
- पता-
-
-
- मो.नं.-
- आधारकार्ड नं.-
- 2 नाम-
- पता-.....
-
-
- मो.नं.-
- आधार कार्ड नं.-.....

हस्ताक्षर आवेदनकर्ता

- नाम-
- पता-.....
-
-
- मो.नं.-

अनुबंध प्रपत्र का प्रारूप (रु. 1000/- के नोटराइज्ड स्टॉम्प पर)

यह अनुबंध मुख्य कार्यपालन अधिकारी जबलपुर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, जबलपुर (जिन्हें आगे प्रथम पक्ष / दुग्ध संघ के नाम से संबोधित किया गया है) एवं श्री/श्रीमति/कु
..... पुत्र /पत्नी/पुत्री श्री आयुवर्ष, निवासी
..... (जिन्हें आगे
द्वितीय पक्ष के नाम से संबोधित किया गया है) के मध्य निम्नलिखित शर्तों के अधीन निष्पादित किया जाता है:-

1. (अ.) यह कि प्रथम पक्ष द्वारा साँची दूध, घी एवं दुग्ध पदार्थ विक्रय संबंधी व्यवस्था हेतु द्वितीय पक्ष के आवेदन परसाँची पार्लर से दूध एवं दुग्ध पदार्थ विक्रय हेतु अधिकृत किया है।
 - (ब.) यह कि यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थाई है एवं प्रथम पक्ष द्वारा बिना किसी पूर्व सूचना के अनुबंध निरस्त किया जा सकेगा। द्वितीय पक्ष द्वारा 30 दिन का अग्रिम नोटिस देकर यह अनुबंध समाप्त किया जा सकेगा। नोटिस इस अनुबंध में वर्णित पते पर पंजीकृत/पावती डाक द्वारा भेजा जावेगा। यदि अन्यथा पूर्व में ही नया पता सूचित नहीं किया गया है तथा इस प्रकार भेजा गया पत्र/नोटिस प्राप्त कर लिया माना जावेगा। द्वितीय पक्ष एजेंटशिप त्यागने/छोड़ने हेतु प्रथम पक्ष को लिखित में कम से कम 30 दिवस पूर्व सूचित करेगा, किन्तु प्रथम पक्ष द्वारा वैकल्पिक व्यवस्था किये जाने तक कार्य सम्पादन हेतु बाध्य होगा।
 - (स) यह कि अनुबंध नियुक्त तिथि से तीसरे वित्तीय वर्ष अर्थात् वर्ष की दिनांक 31.03 तक की अवधि के लिए प्रभावशील माना जावेगा अर्थात् इस अनुबंध की अवधि प्रथम बार में नियुक्त तिथि के वित्तीय वर्ष की दिनांक 31मार्चतक होगी। उसके बाद पुनः अनुबंध नवीनीकरण की अवस्था में अनुबंध की अवधि दिनांक 01 अप्रैल से प्रभावी होगी। यदि द्वितीय पक्ष साँची पार्लर निरंतर चलाना चाहता है तो उसे इसी अनुसार नया अनुबंध तीसरे वित्तीय वर्ष की दिनांक 31 मार्च तक समाप्त होने के एक माह पूर्व निष्पादित करना होगा अन्यथा साँची पार्लर अन्य व्यक्ति को देने के लिए प्रथम पक्ष स्वतंत्र रहेगा।
 - (द) यह कि द्वितीय पक्ष द्वारा अनुबंध की किसी भी शर्त का उल्लंघन किया गया तो प्रथम पक्ष बिना नोटिस कार्य आवंटन निरस्त कर अनुबंध समाप्त कर सकेगा।
 - (इ) यह कि प्रथम पक्ष द्वारा अनुबंध निरस्त करने पर द्वितीय पक्ष को निर्धारित अवधि में साँची पार्लर स्ट्रक्चर का कब्जा प्रथम पक्ष द्वारा अधिकृत व्यक्ति अथवा दुग्ध संघ के अधिकारी को देना होगा, ऐसा न करने पर प्रथम पक्ष को अधिकार होगा कि वह साँची पार्लर का कब्जा कर ले। इस हेतु आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जाएगी, जिसमें द्वितीय पक्ष को आपत्ति करने का अधिकार नहीं होगा।
 - (उ) यह कि अनुबंध के अंतर्गत विषयो के संबंधित उभय पक्षों के मध्य उत्पन्न विवादों के संबंध में समस्त क्षेत्राधिकार सहकारी अधिनियम के अंतर्गत सक्षम न्यायालय को होगा।
 - (ऊ) समस्त विवादो के निपटारे के लिये न्यायिक कार्य क्षेत्र जबलपुर ही होगा।
2. (अ) यह कि भविष्य में अमानत राशि में वृद्धि करने का अधिकार प्रथम पक्ष को होगा। जिसे जमा करने हेतु द्वितीय पक्ष बाध्य रहेगा।
 - (ब) यह कि अमानत राशि से साँची पार्लर संबंधी किसी भी बकाया या नुकसान की राशि की भरपाई करने का अधिकार प्रथम पक्ष को रहेगा।
 - (स) यह कि अनुबंध की पूर्ति हेतु दो व्यक्तियों की रूपये 25000/-..... प्रत्येक की जमानत देना अनिवार्य होगा तथा उक्त जमानतनामे में भी इस इकरारनामे के जमानतदारो पर बंधनकारक होंगे।
 - (द) यह कि द्वितीय पक्ष द्वारा प्रतिभूति राशि वापसी के आवेदन करने पर संबंधित वितरक सह-परिवहनकर्ता से नो-ड्यूज़ प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात् ही प्रतिभूति राशि वापस की जाएगी।

- (ई) द्वितीय पक्ष को एफएसएसएआई का नियमानुसार लायसेंस/रजिस्ट्रेशन, जीएसटी तथा अन्य समस्त वैधानिक दस्तावेज जो वर्तमान में प्रभावशील है तथा भविष्य में प्रभावशील होंगे, अपने व्यय से बनवाकर कार्य आदेश प्राप्ति के पूर्व अनिवार्य रूप से दुग्ध संघ को उपलब्ध कराने होंगे।
3. (अ) द्वितीय पक्ष को आवंटित इस साँची पार्लर को नीचे दर्शाई गई समयावधि में खुला रखना होगा।

समय	से	समय
प्रातः बजे	से बजे
सायं बजे	से बजे

- (ब) यह कि द्वितीय पक्ष को प्रथम पक्ष द्वारा समय-समय पर निर्धारित दूध एवं दुग्ध पदार्थों की विक्रय मूल्य तालिका एवं साँची पार्लर खुलने व बंद होने की समय तालिका डिपो/साँची पार्लर पर लगाना आवश्यक होगा तथा तदनुसार ही साँची पार्लर खोलना होगा।
- (स) उपभोक्ता यदि दूध की घर पहुँच सेवा चाहता है तो द्वितीय पक्ष घर पहुँच सेवा के लिये बाध्य होगा। घर पहुँच सेवा सुविधा न देने पर प्रथम पक्ष कार्य आवंटन निरस्त करने के लिए स्वतंत्र रहेगा।
- (द) एजेंट को दोनो समय सुबह-शाम दूध का विक्रय करना अनिवार्य होगा।
4. (अ) यह कि द्वितीय पक्ष को आवंटित साँची पार्लर का पूर्ण स्वामित्व प्रथम पक्ष का होगा, जिसे द्वितीय पक्ष को किसी अन्य व्यक्ति या संस्था को हस्तांतरण करने का कोई अधिकार नहीं होगा। ऐसा करते पाए जाने पर प्रथम पक्ष द्वारा द्वितीय पक्ष का कार्य आवंटन निरस्त कर पार्लर का कब्जा ले लिया जाएगा।
- (ब) यह कि नगर निगम/अन्य निकाय से पार्लर द्वारा विक्रय किये जाने वाले पदार्थों का विक्रय लायसेंस द्वितीय पक्ष को स्वयं के व्यय से प्राप्त करना होगा।
- (स) यह कि द्वितीय पक्ष द्वारा समस्त कानून अथवा उपनियम का पालन आवश्यक होगा। नाप-तौल विभाग, नगर निगम, खाद्य विभाग या अन्य प्रशासनिक विभाग द्वारा बनाये गये किसी भी नियम का उल्लंघन करने पर द्वितीय पक्षकार की जिम्मेदारी रहेगी।
- (द) यह कि पार्लर में फ्रिज/डीप फ्रीजर की व्यवस्था विक्रय अनुसार द्वितीय पक्ष को स्वयं अपने व्यय पर करनी होगी।
- (इ) यह कि प्रथम पक्ष द्वारा निर्धारित दूध एवं दुग्ध पदार्थों के अतिरिक्त ऐसा कोई पदार्थ द्वितीय पक्ष द्वारा पार्लर से विक्रय नहीं किया जा सकेगा जो प्रथम पक्ष द्वारा उत्पादित पदार्थों के समांतर हो या उसके द्वारा प्रतिबंधित हो।
- (ई) यह कि पार्लर पर होने वाले व्यय जैसे भूमि, किराया, विद्युत, पानी एवं अन्य व्यय एवं रखरखाव व्यय द्वितीय पक्ष द्वारा वहन किया जावेगा एवं निर्धारित समय में संबंधित विभाग अथवा संघ के निर्देशानुसार संघ कार्यालय में जमा किया जावेगा।
- (उ) यह कि द्वितीय पक्ष विक्रय स्थल का अनुचित प्रयोग नहीं करेंगे न ही किसी अन्य व्यक्ति को अन्य कार्य हेतु देंगे एवं विक्रय स्थल को स्वच्छ एवं दुर्गन्ध रहित रखेंगे। दुग्ध संघ के अधिकारी/कर्मचारी द्वारा समय-समय पर पार्लर का निरीक्षण किया जाएगा।
5. (अ) प्रथम पक्ष के अधिकृत वितरक द्वारा द्वितीय पक्ष को प्रदाय की गई साँची दूध, घी एवं दुग्ध पदार्थ की पूर्ण राशि द्वितीय पक्ष द्वारा प्रथम पक्ष के अधिकृत वितरक के निर्धारित बैंक में प्रतिदिन अनिवार्य रूप से जमा कराया जाना होगा।
- (ब) क्योंकि द्वितीय पक्ष प्रथम पक्ष के लिए स्वीकृत एजेंट बतौर कार्य/व्यवसाय संबंधित उपभोक्ताओं से कर रहा है। अतः उपभोक्ताओं से लेन-देन की समस्त जवाबदारी द्वितीय पक्ष की होगी व किसी भी तरह उपजे विवाद के निराकरण वास्ते प्रथम पक्ष द्वारा दिशा निर्देशों के पालनार्थ द्वितीय पक्ष बाध्य होगा।
- (स) यह कि द्वितीय पक्ष को प्रथम पक्ष द्वारा निर्धारित उपभोक्ता दरों पर ही साँची दूध एवं दुग्ध उत्पाद विक्रय करने होंगे। निर्धारित उपभोक्ता दरों (एम.आर.पी) से अधिक दर पर विक्रय किये जाने पर द्वितीय पक्ष का कार्य आवंटन तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया जाएगा।
- (द) प्रथम पक्ष द्वारा प्रदत्त एडवांस पुस्तिकाओं के तहत उपभोक्ताओं के बनाये गये एडवांस कार्ड के तहत प्राप्त राशि का लेखा-जोखा द्वितीय पक्ष को रखना होगा। प्रस्तुत पुस्तिकाओं के माध्यम से प्राप्त की गई अग्रिम राशि का पूर्ण भुगतान जबलपुर सहकारी दुग्ध संघ जबलपुर के खाते में जमा कराया जाना अनिवार्य होगा। प्रथम पक्ष द्वारा प्रदत्त एडवांस कार्ड पुस्तिकाओं में की गई

हेरा फेरी गंभीर धोखाधड़ी की श्रेणी में यह कृत्य आवेगा तथा द्वितीय पक्ष पर पुलिस कार्यवाही या कानूनी कार्यवाही के द्वारा प्रथम पक्ष को यह अधिकार होगा कि वह उपभोक्ताओं को उसकी राशि द्वितीय पक्ष से वापस करवा सके।

- (इ) पार्लर एजेंट द्वारा दुग्ध विक्रय अग्रिम कार्ड, पार्लर किराया अथवा अन्य कोई भी राशि नगदी के रूप में दुग्ध संघ के किसी भी कर्मचारी को नहीं दी जावे। यदि किसी विशेष परिस्थिति में नगदी राशि जमा करना अति-आवश्यक है तो स्वयं दुग्ध संघ की वित्त शाखा में जमा कर उसकी प्राप्ति अवश्य ली जावे।
6. यह कि प्रथम पक्ष के अधिकृत वितरक द्वारा माल की अदायगी के समय ही द्वितीय पक्ष पैकेट/बॉटल की सील, एवं मात्रा आदि की जांच कर संतुष्टि की दशा में ही माल प्राप्त करेंगे एवं सतर्कता से वितरण करेंगे। प्राप्ति के उपरांत माल की शुद्धता एवं सील की पूर्ण जबाबदारी द्वितीय पक्ष की रहेगी।
 7. यह कि शासन के संबंधित विभाग जैसे कि नगर निगम अथवा खाद्य विभाग द्वारा सेम्पल की मांग की जाने पर सील लगी इकाई ही द्वितीय पक्ष को देवेंगे इस संबंध में तुरंत प्रथम पक्ष को सूचित करेंगे यदि द्वितीय पक्ष ने सेम्पल हेतु लीकेज/बगैर सील की कोई इकाई या खुला पदार्थ दिया हो तो उसकी जवाबदारी द्वितीय पक्ष की रहेगी। प्रथम पक्ष की कोई जवाबदारी नहीं रहेगी।
 8. यह कि पार्लर में प्रथम पक्ष द्वारा जो प्रचार-प्रसार सामग्री भविष्य में उपलब्ध कराई जाएगी एवं केन, क्रेटस, बॉटल प्रदाय किये जायेगे किसी भी कारण उसकी टूट-फूट/नुकसान होने पर प्रचलित बाजार मूल्य से उसकी भरपाई द्वितीय पक्ष को करना होगी।
 9. यह कि प्रथम पक्ष द्वारा वितरक के माध्यम से प्रदाय किये गये दूध एवं दुग्ध पदार्थ एवं खाली क्रेटस, बॉटल का लेखा-जोखा द्वितीय पक्ष को रखना होगा एवं मांग किए जाने पर प्रथम पक्ष द्वारा अधिकृत कर्मचारी/अधिकारी को प्रस्तुत करना होगा।
 10. पार्लर आवंटन होने के पश्चात् यदि द्वितीय पक्ष द्वारा प्रस्तुत की जानकारी अथवा दस्तावेज भविष्य में असत्य पाए गए तो प्रथम पक्ष द्वारा द्वितीय पक्ष का कार्य आवंटन निरस्त कर संघ में जमा प्रतिभूति राशि राजसात।
 11. यह कि प्रथम पक्ष से कोई भी पत्र व्यवहार द्वितीय पक्ष स्वयं करेगा एवं प्रथम पक्ष द्वारा बुलाये जाने पर द्वितीय पक्ष व्यक्तिगत रूप से प्रथम पक्ष के कार्यालय में उपस्थित होंगे।
 12. यह कि प्रथम पक्ष द्वारा विक्रय संबंधी जो नियम वर्तमान में प्रचलित है एवं भविष्य में समय-समय पर बनाये जायेगे, द्वितीय पक्ष को उसका पालन करना अनिवार्य होगा।
 12. यह कि प्रथम पक्ष द्वारा समय-समय पर दिए गए पार्लर के समय एवं दुग्ध पदार्थ के माह कमीशन की राशि संबंधी परिवर्तन के आदेश द्वितीय पक्ष पर बंधनकारक रहेगा।
 13. यह कि इस अनुबंध की शर्त व नियमों में परिवर्तन करने का अधिकार प्रथम पक्ष को होगा, जिसकी सूचना द्वितीय पक्ष को दी जावेगी, एवं द्वितीय पक्ष उसका पालन करेगा।
 14. द्वितीय पक्ष को औपचारिकताएं पूर्ण करने हेतु जारी पत्र की दिनांक से 45 दिवस में पार्लर संचालन आरम्भ करना होगा।
 15. आवेदन स्वीकृति के उपरांत पार्लर संचालक की कार्य अवधि प्रथमतः तीन वर्षों के लिए प्रभावशील रहेगी। दुग्ध संघ द्वारा पार्लर संचालक का कार्य तीन वर्ष की अवधि में संतोषप्रद पाये जाने पर अनुबंध की समान शर्तों पर पार्लर संचालन का एक-एक वर्ष हेतु नवीनीकरण किया जा सकेगा।
दुग्ध संघ द्वारा पार्लर संचालक का कार्य संतोषप्रद नहीं पाए जाने पर कार्य आवंटन निरस्त करते हुए पुनःआवंटन करने हेतु दुग्ध संघ स्वतंत्र रहेगा।
 16. द्वितीय पक्ष को रू. 75000/- (पचहत्तर हजार रुपये मात्र) बतौर प्रतिभूति राशि के रूप में डिमाण्ड ड्राफ्ट के माध्यम से जो कि "जबलपुर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, जबलपुर" पेयबल एट जबलपुर के नाम से देय होगा, तैयार कर जमा करना अनिवार्य होगा। जमा प्रतिभूति राशि पर कोई ब्याज देय नहीं होगा।
 17. द्वितीय पक्ष को पार्लर में पेंटिंग, बिजली बिल, डीप-फ्रीजर की व्यवस्था स्वयं के स्तर से करनी होगी। इस हेतु दुग्ध संघ स्तर से कोई भुगतान नहीं किया जावेगा।
 18. द्वितीय पक्ष को पार्लर का नियमानुसार मासिक किराया अथवा नगर निगम द्वारा समय-समय पर निर्धारित मासिक किराया राशि अनुसार नगर निगम के संबंधित कार्यालय में जबलपुर

दुग्ध संघ के नाम से जमा करना होगा तथा किये गये भुगतान की पावती की एक प्रति दुग्ध संघ के विपणन कार्यालय को लिखित आवेदन के साथ मासिक रूप से प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा ताकि लेखा-जोखा संधारित किया जा सके।

19. द्वितीय पक्ष आवंटित पार्लर में किसी अन्य प्रतिस्पर्धी ब्राण्ड का विक्रय नहीं करेगा और ना ही बिड़ी, गुटका, तम्बाकू उत्पाद अथवा अन्य कोई भी प्रतिबंधित सामग्री का विक्रय करेगा अन्यथा इसका उल्लंघन करते पाये जाने पर प्रथम पक्ष द्वारा पार्लर आवंटन तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया जाएगा, जिसके लिए द्वितीय पक्ष स्वयं उत्तरदायी होगा।
20. द्वितीय पक्ष को न्यूनतम 100 लीटर प्रतिदिन दूध का विक्रय एवं रु.500/- के दुग्ध उत्पाद विक्रय लक्ष्य प्रथम तीन माह की अवधि में प्राप्त करना होगा। तत्पश्चात् दूध एवं दुग्ध उत्पाद विक्रय में वृद्धि प्राप्त करनी होगी, दिये गये माहवार विक्रय लक्ष्यों में प्रतिवर्ष 10: की वृद्धि अनुबंध का एक वर्ष पूर्ण होने पर की जायेगी तथा इस प्रकार नवीन निर्धारित लक्ष्य ही उस वर्ष के लिये पार्लर संचालक को मान्य व स्वीकार होंगे।
21. द्वितीय पक्ष की कार्य समीक्षा दुग्ध संघ द्वारा त्रैमासिक आधार पर की जायेगी तथा द्वितीय पक्ष द्वारा निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति न होने की दशा में गतमाह का शेष लक्ष्य आगामी माह के लक्ष्य में जोड़ दिया जायेगा। यदि तीन माह तक कुल संचयित मासिक लक्ष्य की प्राप्ति नहीं की जाती है तो त्रैमासिक कार्य समीक्षा उपरांत चेतावनी दी जायेगी एवं अंतिम तीन माह का समय कुल संचयित लक्ष्य प्राप्ति हेतु दिया जायेगा। अर्द्धवार्षिक समीक्षा उपरांत यदि यह पाया जाता है कि कुल संचयित मासिक लक्ष्यों के विरुद्ध 100: लक्ष्य प्राप्ति नहीं की गई है तो कार्य आवंटन निरस्त कर कार्य से पृथक कर दिया जायेगा।
22. द्वितीय पक्ष, पार्लर एजेन्ट के रूप में दुग्ध एवं दुग्ध पदार्थ वितरक के अधीन कार्य करेंगे तथा इन्हे वितरक के माध्यम से दूध एवं दुग्ध पदार्थ प्रदाय किया जावेगा। यदि वितरक द्वारा द्वितीय पक्ष को विक्रेता दरों पर प्रदायगी तथा निर्धारित मार्जिन नहीं दिया जाता है तो इसकी सूचना द्वितीय पक्ष दुग्ध संघ प्रबंधन को देगा।
23. द्वितीय पक्ष अपने आसपास के क्षेत्रों में उपभोक्ताओं से संपर्क करेंगे, दुग्ध एवं दुग्ध पदार्थों की होम डिलेवरी सुनिश्चित करेंगे तथा एडवांस कार्ड भी अनिवार्य रूप से बनाएंगे।
24. द्वितीय पक्ष, वितरक से दुग्ध एवं दुग्ध उत्पादों की प्रदायगी के दौरान दुग्ध पैकेटस/दुग्ध पदार्थों के टूटफूट/लीकेज इत्यादि की जांच करने के उपरांत ही प्रदायगी लेवें अन्यथा एक बार प्रदायगी होने के उपरांत किसी भी प्रकार से तत्संबंध में लीकेज/टूटफूट इत्यादि की हानि होने पर जिम्मेदारी द्वितीय पक्ष की होगी।
25. यह अनुबंध दोनो पक्षों के अधिकृत वारिसों पर भी लागू होगा। इसके लिये द्वितीय पक्ष द्वारा विधि अनुसार श्री/श्रीमति/कु..... को अधिकृत वारिस नामित किया गया है।
26. प्रथम पक्ष द्वारा समय-समय पर जारी किये जाने वाले पत्र/परिपत्र, दिशा निर्देश एवं आवेदन प्रपत्र के प्रपत्र क्र.02 में वर्णित नियम एवं शर्तें इस अनुबंध का भाग मानी जाएंगी। जिसका शत प्रतिशत पालन द्वितीय पक्ष को करना होगा। किसी भी नियम शर्तों के उल्लंघन पर प्रथम पक्ष द्वारा द्वितीय पक्ष का कार्य आवंटन निरस्त कर दिया जाएगा।
27. किसी भी प्रकरण में प्रथम पक्ष (जबलपुर दुग्ध संघ) एवं द्वितीय पक्ष के मध्य विवाद की स्थिति निर्मित होने पर प्रबंध संचालक, एमपीसीडीएफ को प्रकरण निराकरण हेतु प्रस्तुत किया जा सकेगा। निराकरण न होने की स्थिति में आरबिट्रेशन एक्ट 1996 के प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही की जा सकेगी।

उपरोक्त अनुबंध की समस्त शर्तों को उभय पक्षों ने पढ़कर, समझ ली है एवं पूर्ण होश हवास में बिना किसी दबाव के हस्ताक्षरित कर निष्पादित की गयी है।

दिनांक

गवाह:

1 हस्ताक्षर:-

नाम

पता.....

2 हस्ताक्षर:-

नाम

पता.....

हस्ताक्षर

1. प्रथम पक्षकार

हस्ताक्षर

2. द्वितीय पक्षकार

जमानतनामा

मैं जमानतदार आत्मज श्री आयु.....
निवासी कार्यालय मेंपद
पर कार्यरत हूँ। मैं सत्यापन करता हूँ कि प्रथम पक्ष एवं द्वितीय पक्ष
....., आत्मज श्री आयु निवासी
के बीच आज दिनांकको साँची मिल्क पार्लर के संचालन संबंधी अनुबंध निष्पादित
किया गया है। इस अनुबंध के तहत यदि प्रथम पक्ष को कोई नुकसान हुआ तो उसके लिये रुपये
25000/- (रु पच्चीस हजार) तक के नुकसान की जवाबदारी हमारी रहेगी। अगर नुकसानी की
राशि द्वितीय पक्ष ने अदा नहीं की तो वह मैं जमानतदार स्वयं प्रथम पक्ष को भुगतान करूंगा
अन्यथा प्रथम पक्ष मेरी चल-अचल संपत्ति से पृथक-पृथक अथवा संयुक्त रूप से वसूल करने के
अधिकारी रहेंगे।

मेरे द्वारा बतौर जमानतदार प्रथम पक्ष के पक्ष में द्वितीय पक्ष द्वारा लिखे पार्लर अनुबंध की
पूर्ति हेतु बतौर जमानत आज दिनांक को लिख दिया है।

गवाह :
हस्ताक्षर
नाम.....
पता.....
मोबाइल.....

जमानतदार:
हस्ताक्षर
नाम.....
पता.....
मोबाइल.....

शपथ पत्र

मैं..... आत्मज श्री आयु निवासी.....
..... शपथपूर्वक यह कथन करता हूँ कि

1. मैंने आज दिनांक को यह अनुबंध करार जबलपुर सहकारी दुग्ध संघ, मर्यादित जबलपुर से दूध एवं दुग्ध पदार्थ साँची पार्लर के माध्यम से विक्रय हेतु किया है जिसकी समस्त नियम व शर्ते मुझे मान्य है।
2. यह कि यह शपथ पत्र मे प्रथम पक्षकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जबलपुर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित जबलपुर के साथ हुये अनुबंध के समर्थन में प्रस्तुत कर रहा हूँ तथा यह शपथपत्र अनुबंध का अभिन्न अंग ही माना जायेगा।

शपथग्रहिता.....

सत्यापन

मैं सत्यापित करता हूँ कि शपथपत्र के उपरोक्त चरण मेरी स्वयं की जानकारी के अनुसार सत्य एवं सही है। सत्यापन आज दिनांक को में किया गया।

शपथग्रहिता.....

प्रस्तावित स्थलों की सूची साईज 8 फिट x 8 फिट

(अ) जिला सिवनी

1. पुलिस अधीक्षक महोदय के निवास की दीवार के पास नगर पालिका की भूमि पर।
2. इंडियन कॉफी हाउस प्याउ के बगल में।
3. पाल पेट्रोल पंप के सामने।
4. ईश्वर नगर में नगर पालिका की खाली भूमि पर।
5. वाचनालय एवं आश्रय स्थल के बीच में (डूडा ऑफिस के बाजू में)
6. मठ मंदिर स्कूल परिसर बाउन्ड्री के सामने।
7. पुरानी मछली मार्केट के पार्किंग एरिया में।
8. पीजी कॉलेज बाउन्ड्री यात्री प्रतीक्षालय के बाजू में।
9. हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी गेट के बाजू में।
10. बार्ड क्र. 05 चट्टी के पास लखनादौन।
11. बार्ड क्र. 04 जैन स्तंभ के बाजू में सब्जी मार्केट के पास, बरघाट।

(ब) जिला कटनी

1. प्रियदर्शनी बस स्टैंड, यात्री प्रतीक्षालय के पास।
2. कैलवरा फाटक के आगे रेल्वे फाटक के आगे, झुरही मोड के पास, सड़क किनारे।
3. माधव नगर, कुन्दनदास स्कूल के सामने, ए.सी.सी. मोड के पास।
4. माधव नगर, चावला चौक, छहरी रोड़ सड़क किनारे।
5. माधव नगर, मानसरोवर कॉलोनी, तालाब के पास, अमीरगंज रोड़
6. विवेकानंद वार्ड, बडी खेरमाई के पास, रिक्त भूमि पर।
7. महाराणा प्रताप वार्ड, झिंझरी पुलिस लाईन (पेट्रोल पंप के पास), झिंझरी

(स) जिला सतना

1. बिरला रोड़ राज्य परिवहन डिपो के पास (चाणक्यपुरी कॉलोनी)
2. केन्द्रीय विद्यालय रोड़ (ट्रान्सपोर्ट नगर मंदिर के पास)
3. धवारी मंगल भवन (सीआईडी ऑफिस के पास)
4. समरिटन हॉस्पिटल रोड़ (किस्तुकला चौराहा)
5. पयासी गैस गोदाम के सामने (पतेरी)
6. कलेक्ट्रेट परिसर, सतना।

(द) जिला बालाघाट

1. दुर्गा चौक भरवेली (मॉयल नगरी)
2. बस स्टैंड नवेगाँव
3. बस स्टैंड गाँधी चौक रजेगाँव
4. शहीद स्मारक चौक रजेगाँव
5. बस स्टैंड लांजी
6. जनपद पंचायत प्रांगण, लांजी
7. बस स्टैंड वारासिवनी
8. जनपद पंचायत खैरलांजी
9. बस स्टैंड, कटंगी
10. कोर्ट परिसर बैहर

(इ) नरसिंहपुर

1. चावरा स्कूल के पास (खैरी)
2. कृषि मंडी रोड़ तिराहा
3. कलेक्टर कार्यालय परिसर

(ई) जिला शहडोल—

1. कोनी तिराहा
2. पाण्डव नगर, गर्ल्स कॉलेज पॉलिटेक्निक कॉलेज के बीच में।
3. सिंहपुर रोड़, एफसीआई के पास
4. बाणगंगा तिराहा
5. तहसील परिसर के सामने आर. आई. कार्यालय की दीवार से लगकर।

- (उ) डिंडोरी शहर —**
1. डैमघाट नर्मदा गंज
 2. पुलिस लाईन कॉलोनी
 3. नगर पालिक परिषद्
 4. पोस्ट ऑफिस के पास

(फ) जिला मंडला

1. बुधवारी चौक से किला रोड़ पुल के पहले पानी की टंकी के पास।
2. रेल्वे स्टेशन से शंकर तिराहा के पास, शंकर मंदिर से नगर पालिका टंकी के पास, लकडीटाल के सामने महाराजपुर मंडला।
3. संगमघाट बर्तन बैंक के किनारे महाराजपुर मंडला
4. आंगन तिराहा यात्री प्रतीक्षालय के किनारे महाराजपुर मंडला
5. राज्य परिवहन बस स्टैंड, यात्री प्रतीक्षालय भवन में
6. तहसील चौक अग्रसेन प्रतिमा के पास।
7. रानी अवंतीबाई स्कूल एवं ई-पुस्तकालय के मध्य रानी अवंतीबाई मंडला
8. कलेक्ट्रेट रोड़ बंजर क्लब मंडला के पास कार्यालय आदिवासी विकास परिषद् के सामने।
9. आर.डी. कॉलेज यात्री प्रतीक्षालय के पास, बड़ी खैरी मंडला
10. रेशम कार्यालय गेट के पास, राजीव कॉलोनी मंडला
11. पॉलिटेक्निक कॉलेज गेट के पास।

XXX



This document was created with the Win2PDF "Print to PDF" printer available at

<https://www.win2pdf.com>

This version of Win2PDF 10 is for evaluation and non-commercial use only.

Visit <https://www.win2pdf.com/trial/> for a 30 day trial license.

This page will not be added after purchasing Win2PDF.

<https://www.win2pdf.com/purchase/>